

24-9-2021  
21/10/2021

राजस्थान - सरकार

-: न्यायालय का नाम :-

# तहसीलदार (राजस्व), नोहर

नाम सीगा	नम्बर रजिस्टर	तारीख दायरा	तारीख फैसला	तादाद कागजात			नं० रजि० मुहा०
				क	ख	योग	
व्याज - 22	13/2021	15/9 2021	26/10 2021				

	ब	लिष्मण पुत्र रामपन्डे	
सरकार	ना	जाट सा. खरबण्डी वगै.	
	म		
(श्री	वकील)	(श्री	वकील)

फहरिस्त कागजात

नवम्बर शुमार	तारीख शामिल	विवरण कागजात	तादाद



फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत तहसीलदार (राजस्व) मुकाम नोहर स्टेट बनाम लिक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन खरसण्डी वगै० किस्म मुकदमा धारा 22 उप० अधि० 1954 मु०नं०.1.3..सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15/09/2021	<p>पटवारी हल्का ललानिया द्वारा ग्राम खरसण्डी के अप्रार्थीगण संख्या 1 लिक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० मे से 0.063 है० ग्वार 2 अमरसिंह बनवारी लाल पि० जिसुखराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० मे से 0.063 है० ग्वार एवं 0.063 है० में बाजरी 3 कृष्ण पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि खसरा नं. 124 की कुल 6.942 है० मे से 0.063 है० में ग्वार संवत् 2078 खरीफ फसल काशत कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश करने पर पत्रावली पेशी में ली गयी।</p> <p>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को राज. उप. अधि. 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं गिरदावर हल्का जबरासर को खडी फसल कुर्क करने हेतु लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 24/09/2021 को पेश हो।</p>	
24/9/21	<p>पत्रावली पेशी में ली गयी अप्रार्थीगण के प्रत्येक नोडर को नोटिस जारी कर जज की कार्यवाही पर ली गयी रिपोर्ट पर 24/9/21 को जज की कार्यवाही में पत्रावली पेशी में ली गयी।</p>	
8/10/21	<p>पत्रावली पेशी में ली गयी। 24/9/21 को जज की कार्यवाही पर ली गयी रिपोर्ट पर 8/10/21 को जज की कार्यवाही में पत्रावली पेशी में ली गयी।</p>	

26.10.2021

पत्रावली पेशी में ली गई। भू.अभि.निरीक्षक से फर्द निलामी रिपोर्ट दिनांक 25.10.2021 को प्राप्त जो सामिल पत्रावली की गई। उच्चतम बोली मनोज कुमार पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन खरसण्डी ने 420 रूपए की लगाई जो बाद अनुमोदन दिनांक 25.10.2021 को स्वीकृत कर सामिल पत्रावली की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया अप्रार्थीगण को जारी नोटिय स्वयं से बाद तामिल होकर प्राप्त हुआ है फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण हाजिर नहीं। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है पटवारी हल्का द्वारा अप्रार्थीगण सं० 1 लिक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के ख०न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार एवं अमरसिंह बनवारीलाल पि० जिसुखराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के ख०न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार एवं 0.063 है० में बाजरी 3 कृष्ण पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के ख०न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार फसल नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमण करने के कारण अप्रार्थीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू.राजस्व का 50 गुणा के बराबर तावान राशि लगभग 40 रू० से दण्डित किया जाता है। भू.अभि.निरीक्षक को अलग से आदेश दिये जाते हैं कि अतिक्रमी को प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट सात योम में भिजवाये।

पटवारी हल्का/तहसील राजस्व लेखाकार को आदेशित किया जाता है कि तावान की मांग कायम कर वसूली कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26.10.2021 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)

नोहर

D.N.

1169

26/10/21

# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर

प्रकरण संख्या 13

सन् 2021

राज.सरकार

बनाम

लिक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन खरसण्डी वगै०

अन्तर्गत धारा 22 राज.उप. अधिनियम 1954

निर्णय दिनांक:- 26.10.2021


संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ललानिया ने एक रिपोर्ट पी 14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थीगण सं० 1 लिक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के ख०न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार एवं अमरसिंह बनवारीलाल पि० जिसुखराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के ख०न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार एवं 0.063 है० में बाजरी 3 कृष्ण पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के ख०न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार की नाजायज काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अप्रार्थीगणों के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 22 राज. उप. अधिनियम 1954 का प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगणों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु राज.उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत नोटिस दिया गया अप्रार्थीगण स्वयं से तामिल होकर प्राप्त हुआ है जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का पूर्ण अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को बार-बार आवाजे लगवाई फिर भी अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं। अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। पटवारी हल्का ललानिया द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रश्नगत भूमि पर नाजायज काश्त करने की रिपोर्ट प्रमाणित होती है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रश्नगत भूमि पर नाजायज अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू०अ०नि० जबरारसर को मौके से नाजायज अतिक्रमण को हटा कर अप्रार्थीगण को बेदखल करने हेतु आदेश जारी हो। अप्रार्थीगण को भू-राजस्व दर का 50 गुणा के बराबर तावान राशि रू. 40/- से दण्डित किया जाता है।

भू अभिलेख निरीक्षक हल्का जबरारसर द्वारा कुर्क शुदा फसल को दिनांक 21.10.2021 को कुर्क शुदा फसल को निलाम किया गया उच्चतम बोली मनोज कुमार पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन खरसण्डी ने 420 रूपए लगाई जो स्वीकृत की जाती हैं एवं अलग से आदेश जारी हो कि अतिक्रमीयों को मौके से बेदखल कर रिपोर्ट पेश करे।

तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को क्रमशः मांग कायमी एवं वसूली हेतु अलग से आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
तहसीलदार (राजस्व) नोहर  
जिला हनुमानगढ

प्रारूप-क

(देखिये नियम 3)

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा 22 के अधीन नोटिस

तहसीलदार (राजस्व) तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ के न्यायालय में मिसलेनियस केस संख्या 13 सम्बत् 2078 सरकार बनाम डिस्सिन पुडा ज्ञाना राम जाति जाट स. खरसो

तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़

अतः आपने ग्राम खरसो के ख-7-124 की गै.उ.रास्ता पर 0.0638 2911 मी  
कसल का 2 मी है

संवत् 2078 खरीफ फसल काशत कर अतिक्रमण अनधिभोगी सरकारी भूमि पर अतिचार किया है।

एतद् द्वारा आपको नोटिस दिया जाता है कि आपको दिनांक 24/09/21 से पूर्व उक्त भूमि खाली कर देनी चाहिए या आपको व्यक्तिगत रूप से स्वयं या किसी प्लीडर द्वारा दिनांक के दिन समय 11 बजे हाजिर होना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि क्यों नहीं आपको उससे बेदखल कर दिया जावे।

आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि सम्बत् 2078 के दौरान उक्त भूमि पर विचार करने के लिए वार्षिक लगान या कर निर्धारण, यथा स्थिति, को 50 गुनी तक शास्ति क्यों नहीं अधोरोपित की जावे।

यह ओर नोटिस दिया जावे कि आपने गत कृषि वर्ष में उसी भूमि पर अधिकार किया था। यह नोटिस आपका वर्ष 2078 में हुए पचावर्ती अतिचार के संबंध में दिया जा रहा है। आपसे यह कारण बताया जाना भी आपेक्षित है कि क्यों नहीं आपको ऐसी अवधि के लिए सिविल कारागार के सुपूर्द कर दिया जाये व वार्षिक लगान या कर विवरण यथा स्थिति को 50 गुना तक शास्ति का संदाय करें।

यह नोटिस भी दिया जाता है कि उक्त तिथि को आपको हाजिर न होने पर, मामला आपकी अनुपस्थिति में विनि चत किया जायेगा।

आज दिनांक 15/09/2021 को दिन मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रा अंकित की गई।

रु  
(राज्य सरकार द्वारा अधिकृत)  
तहसीलदार (राजस्व)  
0/1 नोहर

रामेश  
31/10/21

13/21

फर्ट कुर्की एवं सुपुर्दगीनामा

आज दिनांक : - 8/10/2021 को श्रीमान तहसीलदार साहब

नोदर के आदेशानुसार अतिकमी श्री लिखमण पुत्र श्री रामचन्द्र

जाति जाट निवासी खरखण्डी की चल / अवल संपत्ति ① लिखमण पुत्र रामचन्द्र

जाति जाट सा. खरखण्डी द्वारा गे. पु. रास्ता के ख. न. 124 में

0.0636 ग्वार, स्व अमर सिंह, बनपारीलाल फि जिंदुखराम

जाति जाट सा. खरखण्डी द्वारा गे. पु. रास्ता ख. न. 124 में 0.0636

ग्वार स्व 0.0636 कृष्ण पुत्र बलाराम जाति जाट सा

खरखण्डी द्वारा गे. पु. रास्ता ख. न. 124 में से 0.0636

ग्वार की फसल

को कुर्क कर बहक सरकार ली गई एवं पाबंद किया कि कुर्क शुदा संपत्ति सुर्द बुर्द न करे  
अन्यथा पुलिस कार्यवाही की जावेगी।

उक्त कुर्क संपत्ति श्री पुत्र श्री जाति

राजेन्द्र सिंह पटवारी  
निवासी की सुपुर्दगी में देकर हिदायत दी गई कि कुर्क संपत्ति सुर्द बुर्द हो तो

रिपोर्ट करे।

तहरीर पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर कराये गए।

3000  
8/10/2021

म. 11/10/21  
9/10/2021  
8-10-2021  
भू0अ0नि0

फर्द निलामी

मि. नं. 13/21

आज दिनांक 21/10/2021 को श्रीमान् तहसीलदार मोहदय नोहर के आदेश क्रमांक राजस्व/21/980

दिनांक 21/10/2021 की पालना में ग्राम खरसोडी के खसरा नं. 124 की श्रे. धुरास्ता

भूमि में फसल <sup>ग्वार 0.189</sup> <sup>बाजरा 0.063</sup> नाजायज कास्त निम्नांकित व्यक्तियों (1) लिटमण पुत्र रामचन्द्र

जाति जाट सा. खरसोडी (2) अमर सिंह, बनवारीलाल पिं निखुखराम

जाति जाट सा. खरसोडी, (3) कृष्ण पुत्र श्यामराम जाति जाट सा.

खरसोडी

द्वारा की गई थी। को बहक सरकार कुर्क कर लिया गया था। उक्त फसल की निलामी हेतु

सार्वजनिक सूचना जारी कर ग्राम के मोतबिरान के रूबरू निलामी बुलाई गई वर्तमान में

फसल कम वर्षा के कारण कमजोर है।

निम्नांकित व्यक्तियों ने उपरोक्त फसल की बोली निम्नानुसार लगाई है।

क्र. स.	बोलीदाता	बोली की राशी
1.	श्री खेगाराज पुत्र श्री राजेसराम जाति जाट साकिन खरसोडी	300
2.	श्री सुभाष पुत्र श्री रामचन्द्र जाति सुभाष साकिन खरसोडी	360
3.	श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मादरराम जाति जाट साकिन खरसोडी	410
4.	श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट साकिन खरसोडी	520

उपरोक्त में श्री मनोज कुमार पुत्र श्री नन्दराम जाति जाट साकिन खरसोडी की बोली उच्चतम रही है। अतः उक्त के नाम फसल निलामी छोड़ी गई है।

3000/21/10/2021  
राजस्व परबारी  
फ. म. ललानिया

सुभाष  
सुरेश कुमार

खेगाराज  
मनोज कुमार

म. नं. 13/21  
श्री. म. नि. जकरासर  
21-10-2021

स्वीकृत  
21/10/21

# कार्यालय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ


क्रमांक/राजस्व/2021/1169

दिनांक: 26.10.2021

## आदेश

इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 13/2021 में निर्णय दिनांक 26.10.2021 के द्वारा अप्रार्थीगण सं० 1 लिक्ष्मण पुत्र रामचन्द्र जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के ख०न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार एवं अमरसिंह बनवारीलाल पि० जिसुखराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के ख०न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार एवं 0.063 है० में बाजरी 3 कृष्ण पुत्र ज्ञानाराम जाति जाट साकिन खरसण्डी द्वारा गै०मु० रास्ता की भूमि के ख०न० 124 की कुल 6.942 है० में से 0.063 है० में ग्वार नाजायज काश्त करने की पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर भू०अ०नि० जबरासर को अतिक्रमी को बेदखली आदेश दिया गया है तथा जुर्माना स्वरूप राशि 40 रुपये से तावान दण्डित किया गया है।

अतः उक्त अतिक्रमी को विवादित भूमि में किसी न्यायालय का स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तुरन्त नियमानुसार बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात दिवस में प्रस्तुत करे।

  
तहसीलदार (राजस्व)  
नोहर


क्रमांक/राजस्व/2021/1169

दिनांक:- 26.10.2021

प्रतिलिपि:-निम्न को पालनार्थ प्रेषित है:-

1. तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी हेतु।
2. भूअभिलेख निरीक्षक जबरासर को भेजकर लेख है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट सात योम में प्रस्तुत करें।
3. पटवारी हल्का ललानिया को भेजकर लेख है कि तावान की वसूली कर बेदखली की कार्यवाही करे।



  
तहसीलदार (राजस्व)  
नोहर